वित्त निर्देश 34/2017

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 324/एल–2017–04–00350/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :– राज्य शासन के निगमों/उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निकायों आदि में संविलियनित सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कम्यूट की गई पेंशन के 1/3 हिस्से के प्रत्यावर्तन के मामले में पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण।

संदर्भ :– 1. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 144/97/वित्त/नियम/चार/2007 दिनांक 5.6.2007.
2. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 262/236/नि./चार/2009 दिनांक 31.08.2009.

संदर्भित ज्ञापन दिनांक 31.8.2009 द्वारा वर्ष 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण संबंधी निर्देश जारी किये गये है। उक्त ज्ञापन की कंडिका 5(ii) में यह निर्देश है कि ऐसे प्रकरणों में जहां शासकीय सेवक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वशासी संस्था में स्थायी संविलियन पर शत–प्रतिशत् पेंशन को समर्पित करते हुए एकमुश्त राशि प्राप्त कर लिया गया है तथा उसे वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 144/97/वि./नि./चार/2007, दिनांक 5.6.2007 के अंतर्गत पेंशन के 1/3 हिस्से के प्रत्यावर्तन का लाभ प्राप्त हुआ है, इस आदेश के अनुसार पेंशन का पुनरीक्षण नही किया जायेगा।

(2) राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि 1/3 हिस्से के प्रत्यावर्तन का लाभ प्राप्त करने वाले ऐसे पेंशनरों के पेंशन का पुनरीक्षण भी दिनांक 1.9.2008 से संदर्भित ज्ञापन दिनांक 31.8.2009 की कंडिका 3.1 के प्रावधानों के अनुसार किया जाये। तदनुसार पेंशन की गणना हेतु सम्पूर्ण मूल पेंशन को 2.26 के गुणक से गुणा करके प्राप्त राशि का 1/3 भाग प्रत्यावर्तित पेंशन होगी।

(3) वृद्ध पेंशनरों के मामलों में उपरोक्तानुसार परिगणित 1/3 प्रत्यावर्तित पेंशन की राशि में निम्नानुसार अतिरिक्त पेंशन भी शामिल किया जायेगा :–

पेंशनर की उम्र	अतिरिक्त पेंशन की राशि
80 वर्ष से तथा 85 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन का 20 %
85 वर्ष से तथा 90 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन का 30 %
90 वर्ष से तथा 95 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन का 40 %
95 वर्ष से तथा 100 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन का 50 %
100 वर्ष या अधिक	पुनरीक्षित मूल पेंशन का 100 %

अतिरिक्त पेंशन विद्यमान पेंशन संवितरण अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा तथा इसे पेंशन भुगतान आदेश के दोनों हिस्सों में स्पष्ट रूप से दर्शाया जायेगा।

(4) दिनांक 1.9.2008 की स्थिति में एवं तदोपरांत पेंशन पर राहत की गणना सम्पूर्ण पेंशन की राशि पर छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अंतर्गत सेवानिवृत्त पेंशनरों को देय राहत की दर से की जायेगी, बशर्तें की ऐसा संविलियनित व्यक्ति पेंशन के प्रत्यावर्तन के समय राज्य शासन/केन्द्र शासन के किसी विभाग अथवा किसी निगम/उपक्रम/स्वशासी संस्था/मंडल/निकाय आदि में नियुक्त/पुनर्नियुक्त न रहा हो।

(5) यदि उपरोक्तानुसार पेंशन संशोधित करने के फलस्वरूप दिनांक 1.9.2008 की स्थिति में भुगतान योग्य सकल पेंशन (मूल पेंशन का 1/3 भाग + महंगाई राहत) का योग दिनांक 31.8.2008 की स्थिति में प्राप्त विद्यमान सकल पेंशन (मूल पेंशन का 1/3 भाग + महंगाई राहत + महंगाई पेंशन) से कम होती है तो ऐसा पेंशनर तब तक संशोधन पूर्व पेंशन एवं उस पर दिनांक 31.8.2008 की स्थिति में देय महंगाई राहत एवं महंगाई पेंशन प्राप्त करता रहेगा, जब तक कि यह राशि पुनरीक्षित पेंशन की प्रत्यावर्तित राशि एवं उस पर समय–समय पर देय महंगाई राहत के योग से अधिक न हो जाये। पेंशन भुगतान आदेश में इस आशय की प्रविष्टियां की जायेगी।

(6) कम्यूट किये गये पेंशन के 1/3 भाग प्रत्यावर्तित पेंशन के पुनरीक्षण का लाभ दिनांक 1.9.2008 अथवा कम्यूट किये गये पेंशन के प्रत्यावर्तन की तिथि, जो भी बाद में हो, से देय होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

22/03/2017

(एस.के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव, वित्त

पृ.क्र. 325 / एल–2017–04–00350 / वित्त / नियम / चार   नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई, 2017
प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, नया रायपुर
7. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
9. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
10. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर
11. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
12. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
13. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
14. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
15. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
16. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर / बिलासपुर, छत्तीसगढ़
17. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर

– को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु

18. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु

22/7/2017
(प्रेमा गुलाब एक्का)
अवर सचिव